



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**17/08/2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने 14.08.2024 को नई दिल्ली और गुडगांव में 4 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी मेसर्स वर्टस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी नामक इकाई का संचालन करने वाले व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में की गई, जिस पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अवैध आय को रूट करने में शामिल होने का संदेह था।

ईडी ने डीसीबी पुलिस, अहमदाबाद द्वारा आईपीसी, 1860 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राकेश प्रतापभाई राजदेव और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची थी और वे कंपनियाँ बना रहे थे और सट्टेबाजी की आय को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से बैंक खाते खोल रहे थे और उनका संचालन कर रहे थे, जो कि बेखबर लोगों के जाली दस्तावेजों के आधार पर किया गया था।

ईडी की जाँच में पता चला कि जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल आकाश ओजा के नाम से बैंक खाता खोलने के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल सट्टेबाजी की आय को रूट करने/डायवर्ट करने/लेयरिंग करने के लिए किया गया था। पीएमएलए जाँच के दौरान, अपराध की आय यानी इन सट्टेबाजी ऐप्स के माध्यम से उत्पन्न धन का पता लगाया जा रहा था और यह पाया गया है कि मेसर्स वर्टस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी सहित धन को रूट करने और लेयरिंग करने के लिए विभिन्न काल्पनिक संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खोले गए हैं।

तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और फर्म के लाभकारी मालिकों से मामले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई। अब तक, इस मामले में, इस कार्यालय द्वारा लगभग 49 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जब्त की गई है, जो सट्टेबाजी की आय को लेयरिंग और संचय करने में शामिल फर्मों/व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों में पड़ी थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।